संदर्भ संख्या राबैं / जीएसडी-प्रका / 48116 /मोन-15/2025-26

परिपत्र संख्या 158/जी एस डी-05/2025

01 जुलाई 2025

प्रबंध निदेशक
सभी राज्य सहकारी बैंक

महोदया/प्रिय महोदय,

वर्ष 2025-26 के दौरान अंतरिम आधार पर अल्पावधि ऋणों (कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों) के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना जारी रहेगी

कृपया 2025-26 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना पर हमारे (परिपत्र संख्या 106) संदर्भ संख्या राबैं/डोर-नीति/9091-9121/IS-1/2024-25 दिनांक 03 जून 2024 का संदर्भ लें।

2. इस संबंध में, हमने सूचित किया कि MoA&FW, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केसीसी के माध्यम से प्राप्त ब्याज सहायता योजना (ISS) को संशोधन के साथ जारी रखने को मंजूरी दे दी है, उनके पत्र संख्या F.No.1-4/2020-क्रेडिट-I दिनांक 16 जून 2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ:

क) राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि ऋणों (पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि के लिए फसल ऋण और डब्ल्यूसी ऋण) के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने स्वयं के धन पर 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध होगी, प्रति किसान 3.00 लाख रुपये तक (एएचएंडएफ, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि के लिए डब्ल्यूसी ऋण के लिए अधिकतम 2.00 लाख रुपये प्रति किसान) उपलब्ध होगी, बशर्ते ऋण देने वाली संस्थाएं किसानों को 7% प्रति वर्ष की दर से अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराएं। फसल ऋण/डब्ल्यूसी ऋण राशि पर 1.5% की दर से ब्याज सहायता की गणना उसके संवितरण/आहरण की तिथि से लेकर किसान द्वारा फसल ऋण/डब्ल्यूसी ऋण के वास्तविक पुनर्भुगतान की तिथि तक या बैंकों द्वारा निर्धारित ऋण की देय तिथि तक, जो भी पहले हो, एक वर्ष की अधिकतम अवधि के अधीन की जाएगी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को ब्याज सहायता और उधार दर के लिए लागू ब्याज दर निम्नानुसार होगी:

वित्तीय वर्ष	किसानों को ऋण दर ब्याज	अनुदान की दर
2025-26	7%	1.5%

ख) ऐसे किसानों को 3% की दर से अतिरिक्त ब्याज अनुदान उपलब्ध होगा जो समय पर पुनर्भुगतान करेंगे, अर्थात् अल्पावधि ऋण के वितरण की तिथि से लेकर किसानों द्वारा पुनर्भुगतान की वास्तविक तिथि तक या फसल ऋण/डब्ल्यूसी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए बैंक द्वारा निर्धारित नियत तिथि तक, जो भी पहले हो, वितरण की तिथि से एक वर्ष की अधिकतम अवधि के अधीन।

ग) ऐसे किसानों को यह अनुदान अल्पावधि उत्पादन ऋण पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक और कृषि एवं पशुपालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी आदि के लिए डब्ल्यूसी पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक उपलब्ध होगा। कृषि एवं पशुपालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी आदि के लिए डब्ल्यूसी पर लागू 2.00 लाख रुपये की सीमा अल्पावधि ऋण पर किसानों को दी जाने वाली 3.00 लाख रुपये की अधिकतम राशि के अनुदान की उप-सीमा है। इसका यह भी अर्थ है कि समय पर भुगतान करने वाले किसानों को वर्ष 2025-26 के दौरान 4% प्रति वर्ष की दर से अल्पावधि ऋण मिलेगा। यह लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जो फसल ऋण/डब्ल्यूसी ऋण लेने के एक वर्ष बाद भुगतान करते हैं।

घ) किसानों द्वारा मजबूरी में बिक्री को हतोत्साहित करने और उन्हें अपने उत्पाद को गोदामों में संग्रहीत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों को फसल की कटाई के बाद छह महीने तक की अवधि के लिए ऋण देने पर ब्याज अनुदान का लाभ उपलब्ध होगा, जो कि वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) से मान्यता प्राप्त गोदामों में संग्रहीत उत्पाद पर परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों के आधार पर फसल ऋण/डब्ल्यूसी ऋण पर उपलब्ध समान दर पर उपलब्ध होगा।

ङ) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, पुनर्गठित ऋण राशि पर पहले वर्ष के लिए उस वर्ष के लिए लागू ब्याज दर पर छूट बैंकों को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे पुनर्गठित ऋणों पर आरबीआई द्वारा निर्धारित मौजूदा नीति के अनुसार दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी।

2. हालांकि, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, पुनर्गठित ऋण राशि पर पहले तीन वर्षों/पूरी अवधि (अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के अधीन) के लिए बैंकों को उस विशेष वर्ष का ब्याज छूट उपलब्ध होगी। इसके अलावा, ऐसे सभी मामलों में, प्रभावित किसानों को 3% प्रति वर्ष की दर से शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। हालांकि, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में ऐसे लाभ का अनुदान अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप समिति की सिफारिश के आधार पर एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा तय किया जाएगा।

3. सितंबर 2023 में किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) के लॉन्च होने के बाद से, बैंकों को केवल डिजिटल मोड के माध्यम से दावों को संसाधित करने का निर्देश दिया गया है। बैंकों को ऑडिट किए गए MISS दावों के निपटान के लिए KRP पर योजना के तहत व्यक्तिगत किसान लाभार्थियों का विस्तृत, श्रेणीवार डेटा कैप्चर और रिपोर्ट करना आवश्यक है। सभी बैंकों को समय-समय पर अधिसूचित तिथि के अनुसार KRP पर इन दावों को समय पर अपलोड करना सुनिश्चित करना चाहिए।

4. बैंकों द्वारा सख्त अनुपालन के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं

क) एक किसान एक केसीसी मानदंड: बैंकों को 'एक किसान-एक केसीसी' के सिद्धांत का पालन करना होगा। तदनुसार, प्रति व्यक्ति केवल एक किसान ऋण (केसीसी) खाते की अनुमति होगी। मौजूदा केसीसी उधारकर्ताओं की पहचान करने के लिए एक पूर्व-स्वीकृति सत्यापन मॉड्यूल किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) पर तैनात किया जा रहा है। अंतरिम में, बैंक संवितरण से पहले प्रत्येक आवेदक से एक वचनबद्धता प्राप्त करेंगे, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि उसके पास कोई अन्य केसीसी खाता नहीं है।

ख) डुप्लिकेट केसीसी खातों के लिए अयोग्यता: यदि किसी लाभार्थी के लिए कई केसीसी खाते पाए जाते हैं, तो ऐसे लाभार्थी के लिए बैंकों के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, सहकारी क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता को देखते हुए और सहकारी समितियों/बैंकों को डुप्लीकेशन प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लग सकता है, यह सिफारिश की जाती है कि 2025-26 के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक भूमि खंड पर केवल एक ही MISS लाभ उपलब्ध होगा।

ग) अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण: योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार सीडिंग और प्रमाणीकरण अनिवार्य है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना के लाभों तक निर्बाध पहुँच को सक्षम करने के लिए प्रत्येक किसान के लिए केवाईसी पूरा हो।

घ) सामाजिक श्रेणी की सटीक रिपोर्टिंग: बैंकों को केसीसी आवेदन पत्र में दिए गए सर्फ़-घोषणा के आधार पर उधारकर्ता (एससी / एसटी) की सामाजिक श्रेणी की रिपोर्ट करनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एससी / एसटी लाभार्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है।

ङ) केआरपी पर सटीक फसल रिपोर्टिंग: फील्ड कार्यकर्ताओं को किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) पर बोई गई फसलों की सही रिपोर्टिंग करने में उचित परिश्रम करना चाहिए। चूंकि केआरपी अब डिजिटल फसल सर्वेक्षण और पीएमएफबीवाई प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत है, इसलिए विसंगतियों के परिणामस्वरूप बाद के चरण में सत्यापन त्रुटियाँ हो सकती हैं।

च) समय-समय पर फसल विवरण अपडेट: चूंकि केसीसी ऋण पांच साल की अवधि के लिए वैध होते हैं, इसलिए क्षेत्र के अधिकारी क्षेत्र के दौरे के बाद प्रत्येक फसल मौसम से पहले फसल विवरण अपडेट करेंगे। स्वीकृत ऋण सीमाएँ खेती की जा रही फसलों के लिए लागू वित्त के उचित पैमाने पर आधारित होनी चाहिए।

छ) केआरपी पर व्यापक अपलोडिंग: सभी केसीसी खाते-नियमित/संचालन, अतिदेय और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)- को समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार किसान ऋण पोर्टल पर लिंक और अपलोड किया जाना चाहिए।

ज) फसल बीमा ऑप्ट-आउट पर सूचित निर्णय: यह देखा गया है कि ऋण अधिकारी नियमित रूप से केसीसी प्रसंस्करण के दौरान पीएमएफबीवाई/फसल बीमा के लिए ऑप्ट-आउट घोषणाएँ प्राप्त करते हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे डिफ़ॉल्ट अभ्यास के रूप में नहीं माना जाए। ऋण अधिकारी को ऑप्ट-आउट के निहितार्थों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए, और नए केसीसी के समय और प्रत्येक नवीनीकरण पर उचित जोखिम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता से सूचित और स्वैच्छिक सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

झ) ऋण चुकौती और नवीकरण के बीच अंतराल: ऋणों के सदाबहार होने को रोकने के लिए, बैंकों को पिछले फसल चक्र के ऋणों के पुनर्भुगतान और बाद के चक्र के लिए ऋणों के नवीनीकरण या मंजूरी के बीच सात (7) दिनों का न्यूनतम अंतराल अनिवार्य करना होगा।

ञ) किस्तों में निकासी: गैर कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण के डायवर्जन से बचने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान प्रत्येक फसल सीजन में इनपुट के लिए उपलब्ध ऋण बनाए रखें, स्वीकृत ऋण सीमा का एक बार में पूरा आहरण करने से बचा जाना चाहिए और बैंकों को किस्तों में निकासी की अनुमति देनी चाहिए, अधिमानतः तीन, प्रत्येक किस्त के बीच उचित अंतराल के साथ।

ट) RuPay KCC कार्ड जारी करना अनिवार्य: सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्ड खाता धारक को RuPay किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाए। यह इनपुट खरीद और अन्य खेती से संबंधित खर्चों के लिए डिजिटल लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है, पारदर्शिता बढ़ाता है और कृषि में डिजिटल समावेशन प्रयासों का समर्थन करता है।

ठ) डिजिटल दावा प्रस्तुत करने के दिशा-निर्देशों का पालन: बैंक किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए परिचालन निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।

5. सभी राज्य सहकारी बैंकों से अनुरोध है कि वे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण/केसीसी और एमआईएसएस (जब भी वे कोई जारी करें) से संबंधित अनुदेशों/परिपत्रों की एक प्रति संयुक्त सचिव (ऋण), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजें।

भवदीय

सी. गणेसन

(सी गणेसन)
मुख्य महाप्रबंधक